

निग - 2653 - I - 16

154

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक - एक/2016

सुखराम पुत्र घनश्याम यादव

ग्राम टीलादौत

तहसील मोहनगढ़

जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़

2- अनुविभागीय अधिकारी जतारा

---अनावेदकगण

(निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959

- अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/2015+16

स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21-7-2016 के विरुद्ध )

कृ0पृ030-2

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 2653-दो/2016 निगरानी

जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
19.8.16	<p>यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 33/2015-16 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21-7-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण का सारोँश यह है कि आवेदक ने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसे ग्राम टीलादांत स्थित सर्वे क्रमांक 44 रकबा 1.619 हैक्टर भूमि का व्यवस्थापन 2-10-1984 के पूर्व से चले आ रहे कब्जा एवं खेती करने के आधार पर किया गया है तभी से वह इस भूमि पर काविज होकर खेती करके अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण करता आ रहा है। इस भूमि के अलावा उसके परिवार में अन्य भूमि नहीं है। जब पटवारी ने बेजा कब्जे की रिपोर्ट पेश की एवं आवेदक के विरुद्ध बेजा कब्जे के कार्यवाही हुई, तब पता करने पर ज्ञात हुआ कि अनुविभागीय अधिकारी जतारा ने आवेदक को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 5-1-89 से पट्टा निरस्त कर दिया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी को पट्टा निरस्त करने हेतु एवं स्वमेव निगरानी दर्ज कर कार्यवाही करने के अधिकार नहीं है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दि. 5-1-89 क्षेत्राधिकार के बाहर होने से निरस्त किया जाय। अपर कलेक्टर</p>	

P. S. C.



प्र0क02653-दो/2016 निगरानी

टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 33/2015-16 स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध किया तथा जांच एवं सुनवाई करके आदेश दिनांक 21-7-2016 पारित करके स्वमेव निगरानी प्रकरण निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एवं शासन के पैनल लायर के तर्क सुने। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 21-7-2016 के पद 6 में इस प्रकार अंकित किया है :-

- इसके अतिरिक्त आवेदक के द्वारा अपने आवेदन के साथ रिकार्ड रूम का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जिससे प्रमाणित होता है कि अनुविभागीय अधिकारी जतारा का उक्त प्रकरण नष्ट किया जा चुका है, आवेदकों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश नकल या छायाप्रति प्रस्तुत नहीं की है। \*

राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों का रिकार्ड स्थाई रिकार्ड है। खेद का विषय है कि अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण अस्तित्व में न होते हुये भी व्यवस्थापित की भूमि पर से उसके नाम की प्रविष्टि विलोपित कर दी गई एवं प्रकरण के अस्तित्व में न होने का प्रमाण मिलने के बाद भी उससे प्रमाणित प्रतिलिपि की अपेक्षा करना अपर कलेक्टर द्वारा जानबूझकर न्याय न करना माना जावेगा।

5/ अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार मोहनगढ़ से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्थल की एवं अन्य तथ्यों पर जाँच रिपोर्ट मांगी गई है, जो तहसीलदार मोहनगढ़ ने पत्र क्रमांक

R  
1/11

OM

प्र0क02653-दो/2016 निगरानी

रीडर.तह./32/2014 दिनांक 31-10-2014 से प्रस्तुत की है। प्रतिवेदन के पद-4 में इस प्रकार अंकित है:-

- खसरा नं. 44/2/1 के शेष भाग पर वर्तमान में वेजा कब्जा है जिसमें से इमरत त. चिपले रकबा 0.809 है. सुखराम त. धनश्याम यादव रकबा 1.619 है. तथा गंगाराम इत्यादि 1.619 है. पर अनाधिकृत रूप से काविज है। पूर्व में इन्हें उक्त भूमि पर पट्टा प्राप्त हुआ था जो अ.वि.अधि.जतारा के प्र. क.292/88-89 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-9-89 व्यवस्थापन 2.10.1984 के आधार पर खारिज किया गया है। \*

विचार योग्य है कि क्या भूमि बन्दन अथवा व्यवस्थापन आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी को स्वमेव निगरानी अथवा निगरानी सुनने की शक्तियाँ प्राप्त हैं ?

1. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 - इन नियमों में अनुविभागीय अधिकारी को स्वमेव निगरानी अथवा निगरानी श्रवण करने की शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं।
2. मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना, विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 - इन नियमों में पारित भूमि व्यवस्थापन आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण की शक्तियाँ कलेक्टर को हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक ओर जहाँ अनुविभागीय अधिकारी का मूल प्रकरण अशोधित है अर्थात है ही नहीं - इसका आशय यही है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का क्रमांक एवं दिनांक डालकर आवेदक का पट्टा निरस्त होने वावत् की गई पटवारी द्वारा खसरा प्रविष्टि अनुचित एवं शून्यवत् है जिसका खामियाजा पात्र कृषक को नहीं भुगताया जा सकता।

6/ तहसीलदार मोहनगढ़ के प्रतिवेदन क्रमांक रीडर.तह./ 32/2014 दिनांक 31-10-2014 के पद 4 में उल्लेखित अनुसार आवेदक को भूमि का व्यवस्थापन मध्य प्रदेश कृषि

2/14


प्र0क02653-दो/2016 निगरानी

प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना, विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के अंतर्गत 2-10-1984 के कब्जे के आधार पर किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ऐसे व्यवस्थापन पर निगरानी श्रवण करने की अधिकारिता नहीं रखते हैं अतएव अनुविभागीय अधिकारी का प्र.क. 292/निगरानी/1988-89 में पारित आदेश दिनांक 28-9-89 विधि के प्रभाव से अकृत एवं शून्यवत् है।

1. देवी प्रसाद विरुद्ध नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटित को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता।
2. इन्दर सिंह तथा अन्य विरुद्ध म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती - प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में पाया गया कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 21-7-16 पारित करते समय जानबूझकर उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है तथा तहसीलदार मोहनगढ़ के जॉच प्रतिवेदन क्रमांक रीडर. तह./32/2014 दिनांक 31-10-2014 के पैरा 5 में दर्शाए अनुसार अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 294/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 2-8-13 से वाद विचारित भूमि म0प्र0शासन के नाम बंजर के रूप में दर्ज करने का लिया गया निर्णय भी अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

B. J. S.



प्र0क02653-दो/2016 निगरानी

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/2015-16 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21-7-2016 एवं प्रकरण क्रमांक 294/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 2-8-13 तथा अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 292/निगरानी/1988-89 में पारित आदेश दिनांक 28-9-89 (मूल प्रकरण अस्तित्व में न होने के कारण) त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा शासकीय अभिलेख से आवेदक सुखराम पुत्र घनश्याम यादव के नाम को विलोपित करने हेतु खसरे में की गई अधिकारविहीन प्रविष्टि को निरस्त करते हुये तहसीलदार मोहनगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम टीलादांत स्थित भूमि सर्वे क्रमांक के 44 के (उप क्रमांक) रकबा 1.619 हैक्टर पर आवेदक का नाम पूर्ववत् भूमिस्वामी के रूप दर्ज किया जावे।

  
सदस्य

5/8/15